परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ

संख्या–4190 /एलएएस/10–1095 एलएएस/10 दिनांक 27 अगस्त : 2010

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

2–समस्त सहा0क्षे0प्र0(का0)/सहायक विधि अधिकारी,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

अलीगढ़ क्षेत्र की याचिका संख्या–6860/2010 राजन लाल बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य एवं याचिका संख्या–18300/2010 शेषपाल सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में कमशः दिनांक 9–2–2010 एवं 6–4–2010 को यह निर्णय पारित हुए कि याचियों को रिवीजन दाखिल करने का विकल्प है। अतः याची गणों को "Alternative Remedy" के आधार पर रिवीजन फाइल करने के निर्देश दिये गये, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा एक निश्चित समयावधि के अन्तर्गत रिवीजन पर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये। यह याचिकाएं निगम अधिवक्ता श्री बी0सी0 दीक्षित एवं श्री एस0सी0 मिश्रा की उपस्थिति में पारित किये गये।

उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा विनियमावली–1981 के विनियम–69–अ के अन्तर्गत उपरोक्त प्रकरणों में पारित दण्डादेश नहीं आते थे, फिर भी सम्बन्धित अधिवक्ताओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष यह तथ्य नहीं लाया गया कि सम्बन्धित प्रकरण निगरानी के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है, इसी कारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अध्यक्ष, परिवहन निगम को रिवीजन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि क्षेत्रों में तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (कार्मिक)/सहायक विधि अधिकारी द्वारा रिवीजन के सम्बन्ध में नियमावली में अंकित प्राविधान की जानकारी मा0 उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को नहीं दी गयी है। इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रकरण भी मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण तथ्यों को न रखने के कारण निगम विरूद्व निस्तारित होते हैं। इस सम्बन्ध में यह भी देखा गया है कि अधिवक्ताओं द्वारा रिट की नोटिस प्राप्त होने पर सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (कार्मिक)/सहायक विधि अधिकारी से महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आख्या नहीं प्राप्त की जाती है, जिसके कारण प्रथम सुनवाई के दिन भी मा0 न्यायालय द्वारा विपरीत आदेश पारित कर दिया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में संबंधित अधिकारी अपने स्तर से सभी अधिवक्ताओं को अवगत कराते हुए वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि प्रथम सुनवाई के दिन निगम विपरीत आदेश न पारित हों।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक विधि अधिकारी अपने क्षेत्र के लिए आवंटित मा0 उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं एवं जिला स्तर के अधिवक्ताओं को सेवा नियमावली के सभी प्राविधानों से अवगत करायें ताकि वे तद्नुसार न्यायालय के समक्ष विभाग का पक्ष प्रस्तुत कर सकें। क्षेत्र के अधिकारी अपने स्तर से अन्य महत्वपूर्ण परिपत्रों एवं नियमों की भी जानकारी निगम अधिवक्ताओं को देना सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकरण में सम्बन्धित अधिवक्ता द्वारा नियमों की जानकारी न होने के कारण प्रतिकूल आदेश पारित होता है तो इसके लिए क्षेत्र के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(कार्मिक)/सहायक विधि अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(सत्यजीत ठाकुर)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com